न्यायालय संभागीय आयुक्त, सीकर

अपील संख्या 931/2023

1. मोहनलाल
2. सतवीर
3. जयसिंह

पुत्रगण महादेवा राम जाट निवासीगण गढला कॅला तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

अपीलार्थी

बनाम

1. जगमाल पुत्र हरदेवा राम जाट निवासी गढला कॅला तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
2. उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुन।
3. तहसीलदार उदयपुर वाटी जिला झुन्झुनू।

प्रत्यर्थी

उपस्थिति

1. मोहनलाल, जयसिंह पुत्रगण महादेवाराम अपीलार्थी।
2. जगमाल पुत्र हरदेवा राम प्रत्यर्थी।

दिनांकः– 04.10.2023

निर्णय

अपीलार्थी ने अपील अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्व निर्णय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी दिनांक 3.05.2018 पेश कि जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम गढला कॅला तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू स्थित कृषि भूमियां खसरा नं0 281, 282, 283, व 289 के अपीलार्थीगण जिसके साबिक नं0 134 मि. थे के काबिज रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिनके उत्तर की तरफ खसरा नं0 278, 570/278 स्थित है जिसके संबंध में प्रत्यर्थी सं0 1 ने अपीलार्थीगण को पक्षकार बनाये बिना ही परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के समक्ष राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 136 के तहत गलत एवं असस्य आधारो पर एवं वेग प्रार्थनापत्र पेश किया जिसे अपीलार्थीगण को बिना सुने ही अकारण व संक्षिप्त ही स्वीकार करने में सुयोग्य परीक्षण न्यायालय ने गंभीर कानूनी भूल की है। सुयोग्य परीक्षण न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू की ओर भी कतई कोई ध्यान नही दिया कि भूमि खसरा नं0 570/278 के खातेदार को पक्षकार ही नहीं बनाया एवं नाही किसी भी प्रकार का कोई बंवारानामा पेश किया। सुयोग्य न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जेर अपील केवल मात्र रिर्पोट दिनांक 17.01.2023 पर आधारित है जो कतई गलत रिपोर्ट है एवं मात्र उक्त तथाकथित रिर्पोट दिनांक 170.01.2019 के आधार पर निर्णय जेर अपील पारित नही किया जा सकता। सुयोग्य परीक्षण न्यायालय ने तथाकथित रिपोर्ट तहसीलदार को गलत अर्थो में पढा है एवं उसका बिल्कुल गलत अर्थ लगाया है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर आदेश उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी दिनांक 3.05.2018 को निरस्त फरमाया जावे।

प्रमाणित प्रतिलिपि

संभागीय आयुक्त
सीकर

रीडर
न्यायालय संभागीय आयुक्त
सीकर (राज.)

अपीलार्थी सं 1 व 3 तथा प्रत्यर्थी सं0 1 न्यायालय उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। प्रत्यर्थी सं0 1 ने कथन किया कि उसके व अपीलार्थीगण के मध्य उक्त अपील निर्णित होने से पूर्व ही हमारे व मोहनलाल व अन्य के मध्य बिना किसी दबाव तथा आपसी सहमति से राजीनाम हो गया है। इस राजीनामे के द्वारा मैं मेरे द्वारा पूर्व मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 131 व 136 भू रा0 अधि0 के तहत कार्यवाही नहीं चाहता हूं न ही मेरे द्वारा अथवा मेरे उत्तराधिकारियों द्वारा भविष्य में धारा 131 व 136 की कार्यवाही मोहनलाल व अन्य के खिलाफ कि जावेगी। इसलिए अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार कि जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.05.2018 निरस्त फरमाया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया। मुताबिक राजीनामा प्रत्यर्थी सं0 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी पारित आदेश दिनांक 03.05.2018 को अपास्त करवाना चाहता है। अपीलार्थी व प्रत्यर्थी सं0 1 अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.05.2018 के तहत धारा 131 व 136 की कोई कार्यवाही नहीं चाहते है।

अतः मुताबिक राजीनामा अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कि जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.05.2018 को खारिज किया जाता है।

(डॉ0 मोहन लाल यादव)
संभागीय आयुक्त,
सीकर

निर्णय आज दिनांक 04.10.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
सीकर

प्रमाणित प्रतिलिपि
रीडर
न्यायालय संभागीय आयुक्त
सीकर (राज.)